न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 30/2019

1 सांवरमल आयु 59 वर्ष पुत्र जमनाराम जाति कुम्हार निवासी बस्सी तन पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मदनलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति जाट निवासी तुलसीरामपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2 हरलाल पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी रूघजी की ढ़ाणी तहसील खण्डेला जिला सीकर।
3 अनिल कुमार पुत्र राधेश्याम जाति महाजन निवासी पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
4 भागीरथमल पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
5 पटवारी हल्का ग्राम पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
6 उप तहसीलदार/उप पंजियक पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
7 तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय व अंतिम डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर बइजलास अनिल कुमार आर.ए.एस. दावा उनवानी सांवरमल बनाम मदनलाल आदि मुकदमा नम्बर 110/2015 दिनांक 26.04.19

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सुरेश कुमावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री उत्तम कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 14.09.2021

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 110/2015 में पारित निर्णय दिनांक 26.04.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने एक दावा विचारण न्यायालय में बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया था कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2148/4623/1 रकबा 0.68 हैक्टेयर है कुल किता 1 कुल रकबा 0.68 है ग्राम पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें अपीलांट/वादी का 7/68 हक व हिस्सा है तथा उसी अनुसार काबिज काश्त है तथा रेस्पोडेंट/प्रतिवादी ने आपस में गिरोह बना रखा है तथा अपीलांट के कब्जा काश्त में दखलंदाजी करते है तथा अपीलांट को बेदखल करने पर आमादा है इसलिए अपीलांट वादी ने बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया था। उक्त वाद पत्र में न्यायालय द्वारा दिनांक 05.07.2016 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई तथा उपतहसीलदार पलसाना को प्राथमिक डिक्री में वर्णित शर्तो के अनुसार पक्षकारों को विधिवत नोटिस देकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया गया था, जिस पर उपतहसीलदार पलसाना ने अपने अधिनस्थ कर्मचारी ह0प0 से बिना मौके पर गये ही तथा पक्षकारों को नोटिस दिये बगैर ही बंटवारा प्रस्ताव कमांक भू.अ./16/1093 दिनांक 28.11. 2016 अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया, जिस पर अपीलांट/वादी ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

आपत्ति प्रस्तुत की जिस पर अपीलांट की आपत्ति स्वीकार की जाकर दिनांक 15.05.2017 को जरिये आदेश उपतहसीलदार द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 28.11.2016 को निरस्त किया गया तथा उपतहसीलदार द्वारा बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 28.11.2016 को निरस्त किया गया तथा उपतहसीलदार पलसाना को पुनः निर्देशित किया कि प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.07.2016 में दिये गये निर्देशानुसार पक्षकारों को विधिवत नोटिस देकर व उनकी उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार करके, न्यायालय में भिजवाने के लिए निर्देशित किया गया था। उपतहसीलदार पलसाना ने अपने अधिनस्थ कर्मचारियों से बंटवारा प्रस्ताव तैयार करके जरिये कमांक एलआर/17/1316 दिनांक 05.10.2017 भिजवाया गया जिस पर अपीलांट/वादी ने दिनांक 23.04.2019 को आपत्ति प्रस्तुत की गई जिस पर अपीलांट/वादी की आपत्ति अस्वीकार करके अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.04.2019 को बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार कर प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए अंतिम डिक्री पारित की गई है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि उपतहसीलदार पलसाना को न्यायालय ने दिनांक 15.05.2017 को यह आदेशित किया था कि पक्षकारों को विधिवत नोटिस देकर उनकी उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया जावें परन्तु उपतहसीलदार पलसाना ने स्वंय ने मौके पर न जाकर और पक्षकारों को विधिवत नोटिस देकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार नही किया है बल्कि अपने अधिनस्थ कर्मचारी हल्का पटवारी को बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित कर दिया जिसने वादी/अपीलांट को सूचना दिये बगैर ही रेस्पोडेंट प्रतिवादीगण से मिलकर कार्यालय में बैठकर ही प्रस्ताव तैयार कर लिया। बंटवारा प्रस्ताव में रास्ता छोड़कर बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया है और बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खसरा नम्बर 5263/2148/2 रकबा 0.07 हैक्टेयर की खातेदारी अपीलांट/वादी के नाम तथा खसरा नम्बर 5263/2148/1 रकबा 0.61 हैक्टेयर कि खातेदारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

रेस्पोडेंट/प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज किया जाना प्रस्तावित किया गया है अब उक्त बंटवारा प्रस्ताव में रास्ते का प्रावधान रखा गया है जिसका ना तो खसरा नम्बर अंकित किया गया है और ना ही रकबा अंकित किया गया है जबकि रास्ता रखा गया है तो उसमें कितनी जमीन गयी है उसका अंकन उक्त बंटवारा प्रस्ताव में नही है तथा इस प्रकार बंटवारा प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस एक दुसरे के विपरित है। अत अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.बी.जे. 2017 पेज 299 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव सभी पक्षकारों की मौजुदगी में तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के हस्ताक्षर है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर सुनकर आपत्ति का निस्तारण कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के विभाजन के सन्दर्भ में पारित निर्देशों की समुचित पालना की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने अपीलांट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त की पालना नही की है। विभाजन प्रस्ताव एकपक्षीय रूप से तैयार किये गये है। तहसीलदार स्वंय मौके पर नही गये। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने बाबत अपीलांट को कोई नोटिस नही दिया। भौतिक कब्जे को नजर अंदाज किया गया है। मुताबिक भौतिक कब्जा विभाजन प्रस्ताव तैयार नही हुये। विचारण न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय कैलाश बनाम रमेश में प्रतिपादित सिद्वान्तों की पालना नही की है। वृहद पीठ ने उक्त निर्णय में राजस्थान टिनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल्स) 1955 के प्रावधानों की पालना को आदेशात्मक बताया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. 2017 पेज 299 में माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि " The Following question was Referred by the D.B. to The Larger Bench:"WHETHER UNDER RULE 18 To 20 OF RAJASTHAN TENANCY (Board of Revenue) Rules 1955- The proposal for division to be prepared by Tehsildar is mandatory or Tehsildar may Sub-delegate his administrative power in respect of preparation of Proposal for division".

The Larger Bench has answered as under:-

(1) It is not mandatory that complete report was to be prepared by tehsildar himself but he may take assistance of other officials as well.
(2) Second question himself go to the site. Answer is in positive it means that tehsildar him self should go to the site.
(3) Tehsildar will issue a notice to all concerned parties that they have to be present for pre parathion of partition proposal at the site.

उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांत की पालना में पुन विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर, रास्ते का प्रावधान कर विधि सम्मत निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.09.2021 को उपस्थिति देवें। निर्णय आज दिनांक 14.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर